संख्या-454/2018/2998/22-2-2017-17(396)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामअधार पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41167/प्रोबे0-5-दयायाचिका/978 दिनांक 15-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामअधार पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी-बड़ी आईनी, थाना-औरास, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 10.11.1977 को 01 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू एवं पिस्टल से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 30.05.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-420/1981 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा उक्त अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.01.2017 तक 13 वर्ष 07 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामअधार (बन्दी संख्या-18290) पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-454/2018/2998(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in